न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

प्रकरण अपील (रसद)संख्या 01/22 **वर्ष 2022**

जीसीएमएस संख्या 2022/29

बउनवानीः—देवीलाल पुत्र किस्तूर गुर्जर निवासी चांदनोली, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचयत चांदनोली तहसील मलारना डूॅगर जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्व आदेश जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.10.2020 अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान फूड ग्रेन एवं असेसियल आर्टीकल रेगूलेसन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर्डर 1976)

उपस्थितः—श्री राधेश्याम जोगी — वकील अपीलान्ट

श्री प्रहलाद मीना (प्रवर्तन निरीक्षक) — पैरोकार रसद

—:निर्णय :— दिनांकः— 20.4.2022

प्रस्तुत अपील अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के आदेश दिनांक 28.10.2022 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व है, जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर अदालत हाजा मे दर्ज रजिस्टर की गयी। तत्पश्चात रेस्पो. की तलवी जरिये नोटिस किये जाने के साथ ही अदालत मातहत का मूल अभिलेख तलब किया जाकर अपील के सन्दर्भ मे बहस वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने के कारण मन्सूख फरमाये जाने योग्य होने के कारण खारिज फरमाया जावें। यह तर्क भी दिया कि आम जनता ग्राम चांदनोली द्वारा रेस्पो. के समक्ष दिनांक 21.9.2020 को ज्ञापन प्रस्तुत कर अपीलान्ट डीलर पीओएस मशीन संख्या 28376 द्वारा उपभोक्ताओं के साथ अभ्रद व्यवहार करने एवं राशन सामग्री समय पर वितरित नही करने बाबत शिकायत प्रस्तुत की जाने एवं दिनांक 28.8.2020 मे प्रकाशित समाचार पत्र मे अंकित तथ्यों की जॉच प्रवर्तन निरीक्षक मलारना डूॅगर से करवायी गयी। जॉच अधिकारी द्वारा अपीलान्ट पर बार—बार दूरभाष नम्बर पर फोन करने पर भी फोन रिसीव नही करने का आरोप लगाते हुए बिना जॉच किये दिनांक 4.9.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी कर प्रकरण दर्ज करते हुए अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया। अपीलान्ट को जरिये पत्रांक क्रमांक/रसद/अभियोजन/944 दिनांक 4.9.2020 से कारण बताओ नोटिस जारी किया। कारण बताओं नोटिस प्राप्त होने पर अपीलान्ट द्वारा दिनांक 9.10.2020 को जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को पीओएस मशीन के दस्तावेज सहित कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। परन्तु आदेशिका दिनांक 28.10.2020 मे अपीलान्ट की अनुपस्थिति मे अपीलान्ट को सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया है। जबकि अपीलान्ट द्वारा अपने जवाब में अंकित किया था कि बाद मे आकर दुकान खोल दी थी तथा मूल्य सूची कोई एवं प्रदर्शन अंकित [illegible] किया था तथा शिकायतकर्ताओं द्वारा द्वेषता पूर्वक झूंठी शिकायत की गयी है। माह अग[illegible] 20[illegible] मे दोनो योजनाओं का गेंहूॅ एवं दाल उपभोक्ताओं को वितरित की जाकर र[illegible] है। सभी उपभोक्ताओं को दो बार का गेंहूॅ दिया गया है कोई फर्जी ट्रान्जेक्शन नही [illegible] गया है। यह तर्क भी दिया कि ओदश जैर अपील की जानकारी प्राप्त होने पर आदेश की [illegible] होने पर जानकारी [illegible]दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के अपील प्रस्तुत की गयी है। अ[illegible] अपील मयाद शुमार फ[illegible] जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:18:51 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

(अपील रसद संख्या 01/2022 उनवानी देवीलाल बनाम जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर)

पैरोकार रसद द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। यह तर्क भी दिया कि प्रथम तो अपील मयाद बाहर पेश की गयी है तथा दफा 5 के प्रार्थना पत्र मे अपीलान्ट द्वारा यह अंकित नही किया कि आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी कब व किस माध्यम से प्राप्त हुई है केवल मात्र दिनांक 22.12.2021 को नकल हेतु आवेदन करना बताया गया है नकल कब प्राप्त हुई यह भी अंकित नही किया है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट के विरूद्व आम जनता ग्राम चांदनोली द्वारा की गयी शिकायत एवं समाचार पत्र मे प्रकाशित समाचार के क्रम में की गयी जॉच के दौरान अपीलान्ट द्वारा 18 उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरित नही कर पीओएस मशीन मे फर्जी ट्रान्जेक्शन किया गया है जबकि उपभोक्ताओ के राशनकार्डो मे वितरित की गयी राशन सामग्री का इन्द्राज नही हो रहा है इस प्रकार कुल 18 उपभौक्ताओं के राशकार्डो पर कुल 4.25 क्विंटल गेंहूँ का फर्जी ट्रान्जेक्शन करना पाया गया है। इस बाबत सभी 18 उपभौक्ताओं द्वारा अपने बयानों मे राशन सामग्री प्राप्त नही होना बताया गया है। इसके अतिरिक्त कोविड महामारी के दौरान दुकान बन्द रखना एवं उपभौक्ताओं को राशन सामग्री वितरित नही कर राज्य एवं केन्द्र सरकार के निर्देशों की अवहेलना की गयी है। इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 9,11,17 सी का स्पष्ट उल्लंघन किये जाने पर आदेश के खण्ड 8,9 मे प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए उचित मूल्य दुकानदार श्री देवीलाल गुर्जर (पीओएस मशीन संख्या 28376) ग्राम पंचायत चांदनोली तहसील मलारना डूँगर का प्राधिकार पत्र की प्रतिभूति राशि 1000/-रू समपहरण किया जाकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।

वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद को सुनने के पश्चात एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि मुताबिक पैरोकार रसद श्री देवीलाल गुर्जर (पीओएस मशीन संख्या 28376) ग्राम पंचायत चांदनोली तहसील मलारना डूँगर द्वारा 18 उपभौक्ताओं के राशन कार्ड मे एक बार का ही इन्द्राज है जबकि पीओएस मशीन मे दो बार गेंहूँ वितरित किये जाने का ट्रान्जेक्शन किया जाकर कुल 4.25 क्विंटल गेंहू का गबन किया जाना बताया गया है किन्तु कथन के समर्थन में पीओएस मशीन का ट्रान्जेक्शन विवरण पेश नही किया है। तथा अपीलान्ट डीलर द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा उपभोक्ताओं के शपथ पत्र इत्यादि प्रस्तुत नही किये गये है जिसके आधार पर उस पर लगाये गये आरोप निराधार साबित हो सके। परन्तु अपीलान्ट डीलर के क्षेत्र के उपभोक्ताओं की सुविधाओ को मध्यनजर रखते हुए न्यायहित अपीलान्ट डीलर का प्राधिकार पत्र सशर्त बहाल किया जाना उचित समझता हूँ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सशर्त स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील खारिज किया जाता है एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि यदि अपीलान्ट डीलर द्वारा 4.25 क्विंटल गेंहूँ की राशि (विभागीय वसूली दर से) राजकोष मे जमा करा दी जावे तो अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल कर दिया जावे। यदि उक्तानुसार राशि जमा नही करवायी जावे तो आदेश जेर अपील यथावत समझा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.4.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:18:51 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर